पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /1098/ गोप. / वा.प्रा. परीक्षा / वर्ष 2018 (सत्र 2017–18) रायपुर, दिनांक 16/01/2018

– : : अधिसूचना : : –

प्रतिवर्षानुसार वार्षिक परीक्षा 2018 के विभिन्न परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं भी लिखित परीक्षाओं के पूर्व ही सम्पादित होगी। प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 28.02.2018 तक अनिवार्य रूप से सम्पन्न करायें। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रायः सभी महाविद्यालयों तथा अध्ययन शालाओं को समय–समय पर दिशा–निर्देश भी दिए जाते रहें हैं , फिर भी कुछ त्रूटियां रह जाने से यथोचित समय में परीक्षाफल घोषित करने में विलंब होते रहा है, जिन्हे ध्यान देकर छात्र हित में संशोधन / सुधार करना आवश्यक है।

तत्संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

1. स्वाध्यायी छात्र–छात्राओं को उनकी प्रायोगिक परीक्षाओं में उन्हीं महाविद्यालयों में सम्मिलित करायें जहां उनके द्वारा पंजीयन कराया गया है। उक्त प्रकिया वार्षिक परीक्षा 2013 के लिए प्रेषित अधिसूचना की कंडिका 02 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक – 06 , भाग – 04 की कंडिका 13 में उपकंडिका 03 में उल्लेखितानुसार निर्देशित होगा :–

   " No non-Collegiate candidate shall be admitted to an examination of the University unless such candidate if he has offered a subject for such examination for such a course of practical work is prescribed, has completed such work in a University Teaching Department or a School of Studies or a College and submits to the Registrar before the last date notified by the University a certificate of such completion from the Head of the Teaching Department or School of Studies or the Principal of the College. All Such candidates shall contact the Head of Teaching Departments or School of Studies or the Principal of Colleges immediately after the declaration of results of supplementary examination and shall got themselves registered in the Colleges/UTD or School of Studies concerned for completion of their practicals. "

2. आपके महाविद्यालय द्वारा सही समय में विषयानुरूप छात्रों की संख्या प्राप्त नहीं होने के कारण संख्या के अनुपात में बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति कर पाना संभव नहीं हो पाता है।

   अतः छात्र संख्या के आधार पर एकाधिक बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति हेतु कृपया लौटती डाक से विषयवार छात्र संख्या का विवरण प्रेषित करें।

3. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की असमर्थता संबंधी पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अपने निकटस्थ महाविद्यालय के संबंधित विषय के वरिष्ठ प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति देने पर ही बाह्य परीक्षकों के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे। यह व्यवस्था केवल स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए ही होगी।

4. प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की लिखित असमर्थता प्राप्त किए बिना ही अन्य बाह्य परीक्षकों से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराया जाता है जो सर्वथा अनुचित है।

निर्देशित किया जाता है कि बाह्य परीक्षकों की लिखित असहमति पत्र के अभाव में अन्य नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी तथा इसका पालन नहीं होने पर ली गई प्रायोगिक परीक्षाएं मान्य नहीं होगी।

5. ऐसे वीक्षकों एवं अधिवक्ताओं की नियुक्ति बाह्य परीक्षकों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जो सह–परीक्षकों की सूची में सूचीबद्ध न हो।

6. प्रायः यह देखने में आया है कि कई छात्र प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। ऐसा छात्रों को प्रायः समयान्तर्गत सूचना प्राप्त नहीं होने पर या उनके कहीं अन्यत्र होने की स्थिति में या अस्वस्थ होने पर संभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित छात्र अन्य महाविद्यालयों जहां वांछित विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न नहीं हुई होती है से प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोगिक परीक्षा तिथि निर्धारण की सूचना छात्रों को यथेष्ठ समय पर प्राप्त हो सके। इस हेतु प्रायोगिक परीक्षा की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों एवं समय सीमा में सूचना पटल पर चस्पा करें, ताकि अस्वस्थ तथा अन्यत्र रहने पर भी छात्र यथा समय प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। सभी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा एक ही बार में सम्पन्न कराया जाए।

7. प्रायोगिक परीक्षा की तिथि का निर्धारण बाह्य परीक्षक की सहमति से एवं पूर्वानुमति लेकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्व में अधिकृत बाह्य परीक्षकों को कतिपय महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा तिथि का निर्धारण कर सूचित किया जाता रहा है , जो व्यवस्था के विपरीत है।